1935 के अधिनियम (प्रान्तीय स्वायत्तता

1932-33 में जब कांग्रेस आंदोलन के मंझधार में थी तब लंदन में ब्रिटिश हुकूमत कांग्रेस के बिना की मौजूदगी के तीसरा गोलमेज सम्मेलन कर रहा था। तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता को दबाने का काम किया जा रहा था। इस तरह ब्रिटिश हुकूमत को राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने में सफलता तो मिल गई। लेकिन उसे ज्ञात था कि दमन की नीति अधिक दिनों तक कामयाब नहीं हो सकेगी। तथा आने वाले समय में फिर आंदोलन होगा और उसे दमन के बल पर नहीं दबाया जा सकेगा।

अतः ब्रिटिश हुकूमत ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति बनाने लगी। इसी उद्देश्य से हुकूमत ने फिर से अपनी पुरानी नीति फूट डालो और राज करो को दुहराया। पुराने तथा नये नीति में अन्तर यह था कि पहले नीति में हिन्दू और मुस्लिम एकता को साम्प्रदायिक आधार पर तोड़ने का काम किया गया था जबकि इस बार कांग्रेस के अंदर फूट डालने का काम किया गया। तथा इसके लिए संवैधानिक सुधारों का जाल फेंककर कांग्रेस के एक हिस्से को औपनिवेशिक प्रशासन में सम्मिलित करने का काम किया गया तथा सुधारों को लागू कर उसके दिलों में संविधान के प्रति आस्था जगाने का काम किया गया और बचे-खुचे भाग को दमन के बल पर खत्म करने का निश्चय किया गया।

इसी नीति को ध्यान में रखकर ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 पारित किया। जिसमें विभिन्न प्रान्तों और राजाओं महाराजाओं के रियासतों को मिलाकर भारत को एक गणतंत्र का दर्जा दिया गया। संघीय विधायिका के लिए रियासतों के प्रतिनिधि की नियुक्ति का अधिकार राजा को दिया गया। इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादियों को दबाव में रखने के लिए आधार निर्मित करना था तथा राष्ट्रवादियों के प्रयासों को विफल करना था।

इस तरह राष्ट्रवादियों को दबाव में रखने के लिए राजा महाराजाओं का उपयोग किया गया। फिर भी राजा को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गयी। रक्षा तथा विदेश विभाग भी राजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। जबकि दूसरे विषय पर गवर्नर जनरल को नियंत्रण करने का विशेषाधिकार प्राप्त था।

इससे प्रान्तों के प्रशासन का तरीका बदल गया। अब प्रान्तों का संचालन प्रान्तीय स्वायत्तता के सिद्धांत पर

Scanned with CamScanner

होने लगा। प्रान्तों को अधिक स्थानीय अधिकार दिया गया। प्रांतीय विभागों के दैनन्दिन का दायित्व निर्वाचित मंत्रीयों को दिया गया। इसके अलावा नागरिक प्रशासन पुलिस पर नियंत्रण का अधिकार भी दिया गया। फिर भी सबसे ऊपर गवर्नर जनरल था उसे यह अधिकार प्राप्त था कि जब चाहे प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता था। इस तरह पाते हैं कि वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति अंग्रेजों के हाथों में ही थी।

1935 इण्डिया एक्ट के विषय में 1935 अधिनियम के संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष और 1936 से भारत के वायसराय लिनलिथगो ने बाद में लिखा कि:—

अधिनियम 1935 तो इसलिए पास किया गया कि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बरकरार रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। भारत के हीत में संविधान को संगोचित करना हमारा नीति नहीं था और न ही हम भारत को सत्ता सौंपने के जल्दबाजी में ही थे। हमारा तो प्रयास यह था कि जब तक संभव हो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहे।

1935-1939 के बीच हुकूमत का मानना था कि सुधारों का चारा फेंककर उदारवादियों, संविधानवादियों तथा नरम पंथियों को अपने ओर खींच लेंगे। तथा बड़े पैमाने पर दमनचक्र चला कर कांग्रेस के एक बड़े हिस्से को संवैधानिक तरीका से वंचित कर देंगे। इस तरह लोग जन आंदोलन के राजनीतिक से अलग हट कर संवैधानिक राजनीतिक की राह पकड़ लेंगे। और एक बार जब कांग्रेस सत्ता का सुख भोग लेगा तब वे संघर्ष के राजनीतिक में वापस नहीं जाएगा।

हुकूमत को यह भी मानना था कि सुधारों के सवाल पर कांग्रेस में फूट पड़ जाएगा और कांग्रेस के अन्दर संविधान-वादियों तथा दक्षिण पंथियों और वामपंथियों में दरार हो जाएगा। क्योंकि ~~वामपंथियों~~ वामपंथियों दक्षिण पंथी तथा संविधानवादियों के इस कदम को जनआंदोलन के साथ गद्दारी कहेगा। इस प्रकार वामपंथी या तो खुद कांग्रेस से अलग हो जाएगा या दक्षिण विरोधी आक्रामक राजनीतिक के चलते खुद दक्षिण पंथि खेमा कांग्रेस से वामपंथी को निकाल देगा। हर हालत में कांग्रेस टूटेगी और दक्षिण पंथी खेमे से अलग हुए वामपंथी के शक्ति को पुलिस दमन के बल पर खत्म कर दिया जाएगा।

लेकिन उस समय नेहरू भी खुलेआम संविधानवादी तथा दक्षिण पंथीयों पर हमला बोल रहे थे। औपनिवेशिक सत्ता को क्रान्तिकारी आंदोलन के माध्यम से उखाड़

करना तथा समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दे रहे थे लेकिन अंग्रेजी हुकूमत चुप-चाप बैठी थी। क्योंकि उसका मानना था कि नेहरू इस कदम से कांग्रेस टूट जाएगी और यही अंग्रेज चाहते थे। इसी उद्देश्य से 1935-36 में अंग्रेजी अफसरों ने वायसराय को सलाह दी थी कि नेहरू को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं किया जाए तथा हमें नेहरू के प्रति उदारवादी रुख अपनाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति न चाहते हुए भी कांग्रेस को बांध रहा था।

लेकिन अंतोगत्वा कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्रान्तीय स्वायत्तता से पूरी तरह निराशा हुयी और इस कानून की निंदा की।

इस कानून के संघीय पक्षों को कभी लागू नहीं किया गया पर प्रान्तीय पक्ष जल्द लागू कर दिया। इसअधिनियम का बड़ा विरोध किया गया फिर भी कांग्रेस इसके अन्तर्गत होने वाले चुनाव में भाग लिया और कांग्रेस के कार्यकर्ता का कहना था कि इस कानून की अलोकप्रियता को सिद्ध करेंगी। कांग्रेस के तूफानी चुनाव-प्रचार को जनता का व्यापक समर्थन मिला। और ग्यारह में से सात प्रान्तों में कांग्रेस का मंत्रीमण्डल बना। तथा दो प्रान्तों में साझी सरकार बनी। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस तरह फरवरी 1937 के चुनाव में यह सिद्ध कर दिया कि जनता का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ है।

Scanned with CamScanner